

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**

**अधिसूचना**

पटना, दिनांक- 28-3-18

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

**अनुसूची-1(अ)**

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अगस्त,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
सितम्बर,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अक्टूबर,2017	287	4.63 X 4.93	6551.03
नवम्बर,2017	288	4.63 X 4.93	6573.85
दिसम्बर,,2017	286	4.63 X 4.93	6528.20
योग :-			39169.22

औसत -  $39169.22 \div 6 = 6528.20$

अनुसूची-1(ब)

कृषि नियोजन, अधिसूचना सं0-4827, 4828 दिनांक-15.09.2017

(गजट संख्या-861 दिनांक-19.09.2017 )

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+ 01.04.2017+01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए।	227.00+5.00+5.00=237.00	7.00	244.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राइवर एवं पम्प ऑपरेटर।	8168.00+163.00+167.00 =8498.00	255.00	8753.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी / पम्प खलासी/चौकीदार/सिपाही/ हलवाहा।	6355.00+127.00+130.00 =6612.00	198.00	6810.00 प्रतिमाह
4	कटनी	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा।		

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर,2017 के औसत के आधार पर अप्रैल,2018 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-402/09 श्र0सं0-1457)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*मोहन रजक*  
23.3.2018  
(मोहन रजक)

*अवर सचिव*  
अवर सचिव।